

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

संख्या— वि० प्रा० (II) स्थानान्तरण—01 / 2026 / / पटना, दिनांक —

विभागीय अधिसूचना संख्या—3739 दिनांक—30.06.2026 से निर्गत अधिसूचना में अंकित तथ्यों को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:—

01. सूची क्रमांक—02 के सम्मुख स्तम्भ—02 में अंकित “डा० राजू एम० तुगनायत, यांत्रिकी, प्राचार्य” के स्थान पर “डॉ० राजू एम० तुगनायत, प्राचार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण” पढ़ा जाय।
02. सूची क्रमांक—5 के सम्मुख स्तम्भ—02 एवं 05 में अंकित “डा० आशीष श्रीवास्तव, यांत्रिकी, सह—प्राध्यापक, वैशाली अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली” के स्थान पर “डॉ० आशीष कुमार श्रीवास्तव, सह—प्राध्यापक (यांत्रिकी अभियंत्रण)—सह—प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली” पढ़ा जाय।
03. सूची क्रमांक—07 के सम्मुख स्तम्भ—02 में अंकित “डा० अनामिका कुमारी, सह—प्राध्यापक इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स” के स्थान पर “डॉ० अनामिका, सह—प्राध्यापक, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण” पढ़ा जाय।
04. सूची क्रमांक—09 के सम्मुख स्तम्भ—02 में अंकित “डा० भूपल कुमार, सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी” के स्थान पर “डॉ० भूपाल कुमार, सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी अभियंत्रण” पढ़ा जाय।
05. सूची क्रमांक—13 के सम्मुख स्तम्भ—02 में अंकित “श्री रौशन कुमार, सहायक प्राध्यापक, असैनिक” के स्थान पर “डॉ० रौशन कुमार, सहायक प्राध्यापक, असैनिक अभियंत्रण” पढ़ा जाय।

विभागीय अधिसूचना संख्या—3739 दिनांक—30.06.2026 की शेष अन्य कंडिका/शर्तें यथावत रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) स्थानान्तरण-01/2026/ /पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) स्थानान्तरण-01/2026/4536 /पटना, दिनांक - 11.08.26

प्रतिलिपि - कुल सचिव, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय, बिहार, पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/परियोजना निदेशक, बी०सी०एस०टी०, पटना/सभी संबंधित प्राचार्य/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।